eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 06, June 2026

# बीमा

**विद्या भूषण**
असिस्टेंट प्रोफेसर– वाणिज्य विभाग, ही0 रा0 स्ना0 महाविद्यालय, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, उ0प्र0
Received: 21 June 2026 Accepted & Reviewed: 25 June 2026, Published: 30 June 2026

## Abstract

जीवन और सम्पत्ति पर हमेशा से विभिन्न प्रकार के विनाशकारी तत्त्वों के द्वारा हानि होने का खतरा बना रहता है, इसी कारण मानव के जीवन, उसकी भौतिक सम्पत्ति, उसके द्वारा बनाए वाणिज्य एवं उद्योग में हमेशा अनिश्चितता एवं अस्थिरता होती है और इसी अस्थिरता के कारण मनुष्य हमेशा इस डर में रहता है कि पता नहीं कब उसे किस प्रकार का नुकसान हो जाए, साथ ही मनुष्य इस अनिश्चितता से अपने जीवन, सम्पत्ति, उद्योग और अपने परिवार की सरुक्षा के प्रति हमेशा प्रयासरत रहता है। उपर्युक्त इसी समस्या के समाधान के लिए मनुष्य द्वारा जिस चीज का आविष्कार किया गया, उसे हम सब बीमा प्रणाली के नाम से जानते हैं।

**मुख्य शब्द :** मानव जीवन, बीमा, अनिश्चितता, अस्थिरता, सुरक्षा, जोखिम, दुर्भाग्य, मृत्यु, परिवार, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, जीवन बीमा, विविध बीमा, राष्ट्रीयकरण, बीमादार, जनंसख्या, पॉलिसी, बीमा अधिनियम, प्रशिक्षण, अभिकर्ता।

## Introduction

यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के जीवन, सम्पत्ति की हानि या जोखिम में भागीदारी की व्यवस्था से बीमा की परिकल्पना का जन्म हुआ है, बीमा में सहयोग की भावना का भी प्रादुर्भाव है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता से चली हुई आ रही है। अतः उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर सामान्यतः कहा जा सकता है कि बीमा विभिन्न प्रकार के जोखिमों, जिसमें मानव जीवन की सम्पत्ति इत्यादि को शामिल किया जाता है, के दुष्परिणामों से मानव को सुरक्षा प्रदान करने की एक कार्य प्रणाली है। बीमा को निम्नलिखित विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है–

1. ''बीमा एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें अनेक व्यक्ति मिलकर किसी एक व्यक्ति की हानि को बाँट लेते हैं''। – एलेक्जेंडर
2. ''बीमा वह साधन है, जिसके द्वारा अनिश्चित जोखिम को निश्चित छोटे–छोटे भुगतानों में बदला जाता है।'' – डॉ० डब्ल्यू०ए० डिमार्क
3. ''बीमा एक अनुबंध है, जिसमें बीमाकर्ता, निश्चित प्रीमियम के बदले, सम्भावित हानि की भरपाई करने का वचन देता है।'' – जस्टित टिंडल
4. ''बीमा भविष्य में होने वाली आर्थिक हानि से सुरक्षा प्रदान करने का उपाय है।''
   – आर०एस० शर्मा
5. ''बीमा जोखिम को बाँटने और आर्थिक सुरक्षा देने की एक सामाजिक व्यवस्था है।''
   – मैकगिल

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 06, June 2026

**उत्पत्ति एवं विकास :** बीमा का इतिहास आदि काल से है। आदिकाल से ही मनुष्य को अपने जीवन और अपने सम्पत्तियों को बहुत सारे जोखिमों से बचाने के लिए प्रयास करना पड़ता था। मानव के अपने जीवन और सम्पत्ति को जोखिमों से होने वाले नुकासान से बचाने के लिए ही बीमा की परिकल्पना को विकसित किया गया। प्रारम्भ में बीमा का स्वरूप वैसा नहीं है, जैसा आज दिखता है। प्राचीन काल में बीमा एक दूसरे के सहयोग के आधार पर हुए नुकसान की भरपाई करते थे। जैसे–जैसे समय बीतता गया, इसी सहयोग की परिकल्पना में धीरे–धीरे परिवर्तन आया और यही व्यवस्था प्राचीन बीमा से आधुनिक बीमा के रूप में विकसित हुई। भारत में बीमा का सन्दर्भ भारतीय परम्परा के प्राचीन ग्रन्थों जैसे– मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और याज्ञवल्क्य स्मृति में बीमा की उत्पत्ति और प्रारम्भिक इतिहास का कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु इससे यह नहीं माना जा सकता है कि हमारे पूर्वजों को बीमा का ज्ञान नहीं था, बीमा की उत्पत्ति प्राचीन काल से ही हो गयी थी। भारतीय प्राचीन परम्परा में कतिपय जोखिमों से मनुष्य के जीवन और उसके सम्पत्ति को सुरक्षा देने की अनेक प्रथाएँ प्रचलित थीं, जिनका जिक्र प्राचीन भारतीय धर्मग्रन्थों और नीतिशास्त्रों में पाया जाता है। प्राचीन भारतीय वैदिक साहित्य में बीमा के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है, उसे योगक्षेम माना गया है, इससे यहाँ सिद्ध होता है कि हमारी प्राचीन भारतीय परम्परा में कुछ–कुछ जगहों में बीमा जैसी ही सुरक्षा सुविधा उपलब्ध थी। बीमा के इतिहास से स्पष्ट पता चलता है कि बीमा के विकास क्रम में सर्वप्रथम समुद्री बीमा का प्रारम्भ हुआ और बाद में जैसे–जैसे समय बीतता गया, अनेक शताब्दियों के पश्चात अग्नि बीमा, जीवन बीमा और अन्य प्रकार के विविध बीमों का प्रचलन हुआ। प्राचीन ग्रन्थों में भी सामूहिक सहायता और सुरक्षा का उल्लेख मिलता है। समुद्री बीमा से आधुनिक बीमा की शुरूआत मानी जाती है। 17वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में जब व्यापार दिन प्रतिदिन नई–नई ऊँचाईयों को प्राप्त कर रहा था तो इसी के साथ बीमा की आवश्यकता ने जन्म लिया। इसी आवश्यकता के कारण आधुनिक बीमा का विकास हुआ।

सन् 1666 में लंदन में एक बहुत ही भीषण अग्निकाण्ड होने के कारण अग्नि बीमा का महत्त्व मनुष्य को समझ में आया। इसके पश्चात् क्रमशः जीवन बीमा और विविध प्रकार के बीमा विकसित हुए। भारत में आधुनिक बीमा का प्रारम्भ 1818 में कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा स्थापित ओरिएंटल लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी से हुआ। लेकिन यह बीमा कम्पनी में केवल बीमा अंग्रेजों का ही होता था। बाद में कई भारतीय बीमा कम्पनियाँ स्थापित हुईं। जब भारत 1947 में स्वतन्त्र हुआ, भारतीय सरकार को यह महसूस हुआ कि बीमा बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है, इसलिए स्वतन्त्रता के बाद 1956 में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके Life Insurance Corporation of India (LIC) की स्थापना की गई। जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 1972 में सामान्य बीमा का भी राष्ट्रीयकरण किया गया।

आज आधुनिक समय में बीमा का क्षेत्र इतना विस्तृत हो चुका है कि लगभग सभी क्षेत्रों में सभी सम्पत्तियों का सभी जीवन का बीमा अब सम्भव है। आज जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, फसल बीमा आदि अनेक प्रकार के बीमा करने की सुविधा उपलब्ध है। आधुनिक समय में बीमा समाज की स्थिरता को बनाए रखने के लिए अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है, साथ ही साथ आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण का महत्त्वपूर्ण साधन बन गया है।

आज जबकि आधुनिक समय में बीमा ने अपने रूप को बहुत ही विस्तृत कर लिया है, बीमा के विस्तृत क्षेत्र को समझने के लिए बीमा को चार क्षेत्रों में बाँट सकते हैं–

1. समुद्री बीमा
2. अग्नि बीमा
3. जीवन बीमा
4. विविध बीमा

**1. समुद्री बीमा :** जब बीमा प्राचीन काल से अपनी यात्रा तय करते हुए आधुनिक समय में पहुँचा तो इस क्रम में सर्वप्रथम समुद्री बीमा की ही उत्पत्ति हुई। इसका कारण प्राचीन व्यापार था, क्योंकि आदि काल से मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों के बीच अपने व्यापारिक सम्बन्ध को बढ़ा रहा था। अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता था, लेकिन मनुष्य ने अपने व्यापार में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए समुद्र का उपयोग करना शुरू किया, क्योंकि जल मार्ग से वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सुगम माना जाता था, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि समुद्र की यात्रा विभिन्न प्रकार के आपदाओं के कारण व्यापार बड़ा लोखिम भरा था। यह उस समय की बात है, जब मनुष्य ने अभी विज्ञान के द्वारा इतने आविष्कार नहीं किऐ थे कि जिसके द्वारा समुद्र यात्रा में उत्पन्न होने वाले विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सके। उस समय विज्ञान अभी इतनी प्रगति पर नहीं था, जिस कारण मनुष्य ने प्रकृति की तमाम समस्याओं पर विजय नहीं पाई थी। समुद्री परिवहन में अनेकानेक संकट होते हैं। तूफान में फंसकर या किसी चट्टान या जहाज से टक्कर खाकर या अग्निकांड में जहाज नष्ट हो सकता है, माल और भाड़े की हानि हो सकती है अथवा अन्य कोई दायित्व आ सकता है। असाधारण दशाओं में, विशेष रूप से युद्धकाल में समुद्री जोखिमें बहुत बढ़ जाता हैं। समुद्री परिवहन जोखिमों के अतिरिक्त आन्तरिक परिवहन जैसे– रेल, सड़क, आन्तरिक जलमार्ग आदि में भी माल भेजने की क्रिया में बहुत सी जोखिमें रहती हैं।

कल–पूर्जों वाले वाष्: चलित जहाज नहीं थे, नौवाहन संकटपूर्ण होता था, परिवहन के आधुनिक सुरक्षा–साधनों का नितांत अभाव था, जल–दस्युओं द्वारा लूट लिए जाने का भय था। ऐसे जोखिमों से सुरक्षा पाने के लिए प्राचीन काल में भी अनेक युक्तियाँ चलन में आईं, जिसमें दो युक्तियाँ उल्लेखनीय हैं–

1. सामूहिक हानि को आपस में बांटने की प्रथा
2. बॉटमरी बाण्ड नामक ऋण प्रणाली।

आधुनिक समुद्री बीमा में ऐसी समस्त जोखिमों से हानि होने पर उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी थी। मुख्यतया समुद्री बीमा में चार प्रकार का बीमा शामिल किया जाता है–

1. माल बीमा Cargo insurance
2. जहाज बीमा Hull insurance
3. भाड़ा बीमा Frieght insurance
4. दायित्व बीमा Liability insurance

**2. अग्नि बीमा :**

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 06, June 2026

अग्नि का आविष्कार मानव जीवन के लिए अमूल्य वरदान है। साथ ही साथ क्रान्तिकारी आविष्कार भी था, लेकिन यह कहा जाता है न कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार अग्नि का आविष्कार मानव जीवन के लिए एक महान संकट भी बना। प्राचीन भारतीय सभ्यता में अग्नि को पवित्र करने वाला कहते हैं। साथ ही अग्नि को जलाने वाला भी कहते हैं। अग्नि के इसी दाहक रूप से होने वाले विभिन्न प्रकार के नुकसानों से बचने के लिए जिस बीमा प्रणाली का उदय हुआ, उसे हम अग्नि बीमा प्रणाली के नाम से जानते हैं। जब कहीं अग्नि अपने दहक रूप को लेती है, तो जो अग्निकाण्ड होता है, उसका परिणाम सचमुच बड़ा विनाशकारी होता है। अग्नि अपने आप में बरदान होने के साथ–साथ एक भयंकर जोखिम भी है। जब बीमा अपनी यात्रा में समुद्री बीमा को प्राप्त कर चुका था, मानव को तब अग्नि बीमा की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि अग्नि भी बहुत ही भयंकर जोखिम उत्पन्न करती है और बरसों की बनाई हुई सम्पत्ति क्षण भर में राख हो जाती है। प्राचीन समय में ऐंग्लोसैक्सन गिल्ड की व्यवस्था, जिसमें आधुनिक अग्नि बीमा की विषय–वस्तु मिलती है। इस व्यवस्था में अगर कहीं अग्निकाण्ड होता था, जिससे मानव को क्षति होती थी तो ये व्यवस्था क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को दान द्वारा अथवा गिल्ड संगठन द्वारा सहायता कर क्षतिपूर्ति का प्रयास किया जाता था। आधुनिक रूप में अग्नि बीमा की शुरुआत प्रायः 16वीं शताब्दी से ही माना जाता है, जहाँ स्थानीय निकायों द्वारा चन्दा इकट्ठा किया जाता था और अग्नि काण्ड से जिन व्यक्तियों को नुकसान होता था, उनको उनके हुए नुकसान की भरपाई इकट्ठा चन्दे से किया जाता था। जैसे–जैसे समय बीतता गया, वैसे–वैसे यह चन्दा इकट्ठा करके छतिपूर्ति करने की व्यवस्था धीरे–धीरे अग्नि बीमा में परिवर्तित होती गई। अग्नि बीमा की व्यवस्था इंग्लैण्ड में प्रारम्भ हुई। सन् 1966 में लन्दन में भयंकर अग्निकाण्ड हुआ, जिसमें आग लगातार चार दिन और चार रात जलती रही। लगभग 85 प्रतिशत मकान भस्म हो गये और दस करोड़ पौण्ड की सम्पत्ति स्वाहा हो गई। यही कारण है कि हम अग्नि बीमा का प्रारंभ 17वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में पाते हैं। जब यह भीषण अग्निकाण्ड हुआ, तब तक इंग्लैण्ड में अग्नि बीमा की कोई व्यवस्थित कार्यप्रणाली की सुविधा नहीं थी। भंयकार अग्किाण्ड के बाद वहाँ हुए भयंकर नुकसान की भरपाई के लिए वहाँ के लोगों को अग्नि बीमा की आवश्यकता महसूस हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि अग्नि बीमा का चलन प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम सन् 1681 में लन्दन में 'फायर इंश्योरेंस' आफिस की स्थापना हुई। तत्पश्चात सन् 1696 में हैण्ड–इन–हैण्ड नामक एक अग्नि बीमा संस्था स्थापित हुई। सन् 1708 में 'सन फायर ऑफिस' और सन् 1774 में 'यूनियन फायर ऑफिस' की स्थापना हुई। इसके पश्चात् अग्नि बीमा का व्यवसाय सुचारू ढंग से होने लगा और नई–नई बीमा कम्पनियाँ इस क्षेत्र में आईं। 'सन फायर आफिस' का नाम आगे चलकर 'सन इंश्योरंश आफिस' हुआ और इस कम्पनी ने अन्य प्रकार के बीमों का भी कारोबार प्रारम्भ किया। यह संस्था आज भी अग्नि बीमा के लिए विश्व में स्थापित अग्नि बीमा कम्पनियों के लिए एक प्रतिरूप प्रतिपादित करती है। इंग्लैण्ड का लायड्स भी अग्नि बीमा कारोबार में विश्व विख्यात है। मानव सभ्यता ने अग्नि का आविष्कार किया है, उसी समय से अग्नि द्वारा मनुष्य को अनेक वरदान, अनेक सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, लेकिन इसके साथ–साथ ही अग्नि द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ और मनुष्य के लिए विनाशकारी चुनौतियां भी प्रदान की गई, अग्नि द्वारा प्रतिवर्ष बहुत बरबादी होती है। मनुष्य ने अग्नि से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए अनेक निवारक और सुरक्षात्मक उपाय का आविष्कार किया है, जिससे कि अग्नि द्वारा होने वाले भयंकर नुकसान से बचा जा सके। मानव द्वारा सुझाए गए उपायों में से ही एक उपाय है अग्नि बीमा। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के उपाय को मानव अपनाकर होने वाले भयंकर नुकसान से बचा जा सकता है। जैसे कि भवन निर्माण में

विभिन्न प्रकार के फायर–प्रूफ सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। बड़े–बड़े कारखानों और भवनों में आग लगने की तरुन्त सूचना सभी कर्मचारी, सभी आफिसों तथा अग्नि निवारण दल को देने और आग बुझाने के आधुनिक यन्त्र लगे रहते हैं, जैसे स्वचालित छिड़काव पन्ना (आटोमेटिक स्प्रिंक्लर्स)। प्रायः सभी नगरों में फायर बिग्रेड हैं जो आग लगने की सूचना मिलते ही तुरन्त घटना स्थल पर पहुँचकर आग बुझाने में जुट जाते हैं। अग्निकांड से बचाव के तरीकों का प्रचार व्यक्तिगत तथा सरकारी स्तर पर भी व्यापक रूप से किया जाता है। ऐसे उपायों का महत्त्व बहुत है, इससे अग्निकाण्ड से होने वाले भयंकर और अपार नुकसान को काम किया जा सकता है। इनसे आग लगने की सम्भावनाएँ नियंत्रित की जाती हैं और आग लगने पर उसको नियंत्रण करने की समुचित व्यवस्था द्वारा हानि को बहुत कम करने का प्रयास होता है, किन्तु कितने भी प्रयास और कितने भी उपाय को मनुष्य कर ले, फिर भी अग्नि की जोखिम पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं की जा सकती। यह जोखिम वर्तमान और भविष्य में हमेशा विद्यमान रहेगी। अग्निकाण्ड से बड़ी भयंकर जोखिम होता है। समाज को अग्निकाण्ड की बरबादी से पूर्णतया बचाया नहीं जा सकता। लेकिन जिस भी व्यक्ति की सम्पत्ति का अग्नि द्वारा नुकसान होता है, उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था अत्यावश्यक है और यह व्यवस्था अग्नि बीमा द्वारा किया जा सकता है। अग्नि बीमा में बीमा करने वाला बीमा कराने वाले से एक निश्चित रकम लेता है, जिसके एवज में वह बीमा कराने वाले को यह वादा करता है कि एक निश्चित अवधि में अगर आपकी सम्पत्ति को अग्नि द्वारा कोई नुकसान होता है तो अग्नि बीमा कम्पनी उस नुकसान की भरपाई आपको करेगी। इसीलिए अग्नि बीमा आज आधुनिक युग में बहुत ही आवश्यक बीमा है, जिससे मानव जीवन में होने वाले अग्नि के द्वारा भयंकर नुकसान की भरपाई की जा सकती है।

### 3. जीवन बीमा :

**जिन्दगी के साथ भी, जिन्दगी के बाद भी– भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)**सर्वप्रथम समुद्री बीमा, उसके बाद अग्नि बीमा और तब जीवन बीमा का विकास हुआ। भले ही जीवन बीमा का विकास तीसरे नम्बर पर हुआ, लेकिन आधुनिक समय में यह सबसे ज्यादा प्रचलित हो गया है। समुद्री बीमा और अग्नि बीमा की तरह ही जीवन बीमा का प्रारम्भ भी इंग्लैण्ड में 16वीं शताब्दी में ही हुआ। सबसे पहले जीवन बीमा पॉलिसी इंग्लैण्ड में सन् 1583 में विलियम गिबन्स नामक एक व्यक्ति ने खरीदा था। यह जीवन बीमा पॉलिसी एक वर्ष की अवधि के लिए जारी हुई थी। जीवन बीमा व्यवसाय अपने प्रारम्भिक अवस्था में अल्पकाल या एक साल के लिए ही जीवन बीमा पॉलिसी निर्गत करता था, क्योंकि बीमा के क्षेत्र में जीवन बीमा एक क्रान्तिकारी परिवर्तन था, जिसके द्वारा मानव अपने अनिश्चित पूर्ण जीवन में होने वाले क्षतिपूर्ति को कुछ हद तक निश्चित कर लेता था। जीवन बीमा के लोकप्रियता को देखते हुए 17वीं और 18वीं शताब्दी में जीवन बीमा का व्यवसाय करने के लिए बहुत सी समितियाँ और बीमा संस्थाएँ स्थापित हुईं। सर्वप्रथम सन् 1698 में 'मरसर्स कम्पनी' और सन् 1699 में 'सोसायटी आफ इंश्योरंश फार विडोज एण्ड ऑरफंस' नामक संस्थाएँ इंग्लैण्ड में स्थापित हुई, जिनका उद्देश्य केवल अपने सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी विधवा या अनाथ संतान को वार्षिकी प्रदान करना था। उपर्युक्त संस्थाएँ आम जनता के लिए नहीं थी। यह केवल अपने ही कर्मचारियों का बीमा करती थी तथा उनकी ही क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करती थी। इस कमी को देखते हुए तथा इस कमी को दूर करने के लिए सन् 1706 में 'एमिकेबंल सोसायटी' नामक बीमा संस्था स्थापित हुई जो लगभग डेढ़ सौ वर्षों बाद 'नारविक यूनियन' नामक जीवन बीमा कम्पनी में मिला दी गयी। जीवन बीमा जीवन से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के जोखिमों के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 06, June 2026

करने के लिए एक व्यवस्था है। मनुष्य एक पारिवारिक प्राणी है और परिवार के प्रति उसके अनेक प्रकार के पारिवारिक उत्तरदायित्व होते हैं, जिनको पूरा करने के लिए उसे वर्तमान में और भविष्य में समुचित धनराशि की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य आजीवन प्रयास करता रहता है। इसीलिए मनुष्य यत्न और उद्यम करता है, धन कमाता है, नौकरी करता है तथा अपने द्वारा अर्जित किए गए सम्पत्ति से अपने परिवार के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं, जिसमें जीवन जीने से सम्बन्धित आवश्यक आवश्यकता है, उनका भरण–पोषण और सुख–सुविधा की व्यवस्था करता है। जीवन बीमा केवल आज के लिए ही नहीं है, यह आने वाले कल के लिए भी है। जीवन बीमा से आने वाला कल भी सुरक्षित किया जा सकता है। किसी भी मानव के जीवन पर आश्रित लोगों के लिए उसका जीवन बहुत ही बहुमूल्य होता है। उस मानव का जीवन समाप्त हो जाए, तो उस पर आश्रित लोगों का जीवन बहुत ही दुर्गम पूर्ण हो जाएगा। यदि कोई मनुष्य पर्याप्त समय तक जीवित रहे और यदि उसकी आयोपार्जन–शक्ति कायम रहे, तब तो वह स्वयं ही अपने आश्रितों के लिए सुरक्षा का सहारा बना रहता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वह कब तक जीवित रहेगा और अपने आश्रितों के लिए कब तक काम करने योग्य रहेगा, इसी अनिश्चितता को दूर करने के लिए जीवन बीमा का उदय हुआ। जीवन बीमा के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के आाश्रित हैं और उस व्यक्ति को भविष्य में कोई समस्या होती है, जैसे कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या वह इस लायक नहीं रह पाता है कि अपने अस्तित्व के लिए धन कमा सके और उनकी सुरक्षा कर सके। उस अवस्था में जीवन बीमा के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में यदि आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, जिसमें आपकी मृत्यु हो जाती है या आप इस लायक नहीं होते हैं कि अपने आश्रितों का भरण–पोषण कर सकें, तो उस अवस्था में एक पूर्व निर्धारित धन उसके आश्रित को दी जाती है कि वह अपना जीवन वर्तमान की भाँति भविष्य में भी जी सके। जीवन बीमा का मुख्य कार्य है किसी की मृत्यु, वृद्धावस्था या असमर्थता द्वारा उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों से उसके जीवन में आने वाली तमाम आर्थिक और सुविधाओं तथा उसके आश्रितों के लिए उत्पन्न आर्थिक असुविधाओं से सुरक्षा प्रदान करना। जीवन बीमा यह सुरक्षा अनेक प्रकार के पॉलिसी जारी करके करता है। जीवन बीमा में मनुष्य की भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसी आवश्यकता होती है, उस प्रकार की पॉलिसी जारी की जाती है, जिससे कि हर प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और उनके आश्रितों का जीवन सुरक्षित किया जा सके।

जीवन बीमा में दो पक्ष होते हैं। पहला– बीमा कर्ता और दूसरा बीमा करवाने वाला, यहाँ बीमा करने वाले के द्वारा एक निश्चित रकम (प्रीमियम) (जो कि एकमुस्त, छमाही, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या बीमा करने वाले और बीमा करवाने वाले की सुविधा के अनुसार तय की जा सकती है) के बदले में बीमा करने वाले की भविष्य में जीवन से सम्बन्धित होने वाले आर्थिक क्षति की पूर्ति का वादा किया जाता है।

**4. विविध बीमा :** अभी तक हमने जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा के बारे में जाना, लेकिन मनुष्य की आवश्यकता केवल अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और जीवन बीमा से पूर्ण होने वाली नहीं है। अब तीन प्रकार के बीमा के अतिरिक्त भी कई प्रकार के बीमे का प्रचलन हो चुका है। अग्नि बीमा, समुद्री बीमा तथा जीवन बीमा के अतिरिक्त जितने भी प्रकार का बीमा होते हैं, उन सभी को हम एक प्रकार से 'विविध बीमा' (Miscellaneous Insurance) कह सकते हैं। विविध बीमा को ही अमेरिका में 'आपात् बीमा' (Casualty Insurance) और इंग्लैण्ड में 'दुर्घटना बीमा' (Accident Insurance) कहते हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 06, June 2026

भारतीय बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 में विविध बीमा व्यापार की परिभाषा इस प्रकार दी गई है– ''विविध बीमा बारोबार'' (Miscellaneous Insurance Business) से अभिप्राय है ऐसी बीमा की संविदाएँ करने से है, जो मुख्य या पूर्ण रूप से जीवन बीमा या समुद्री बीमा या अग्नि बीमा की संविदा से भिन्न प्रकार की हो।

बीमा व्यवसाय के विकास–क्रम में क्रमशः समुद्री बीमा, अग्नि बीमा और जीवन बीमा का व्यापार अट्ठारहवीं शताब्दी के अन्त तक प्रचलित हो चुका था, किन्तु उपर्युक्त तीनों बीमा के प्रकार से भी सभी प्रकार के बीमा की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती थी, जिसके प्रतिफल में विविध बीमा की आवश्यकता औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों के कारण उपस्थित हुई, तब जाकर उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भिन्न–भिन्न प्रकार के विविध बीमों के व्यापार का प्रारम्भ हुआ। जैसे–जैसे परिवहन का विकास हुआ और रेल परिवहन और उसके बाद मोटर परिवहन अपने विकास की यात्रा पर आगे बढ़ा, साथ ही साथ दुर्घटनाओं में भी काफी वृद्धि होने लगी, औद्योगिक क्रान्ति के चलते बड़े–बड़े मशीनचालित कारखानों में औद्योगिक दुर्घटनाओं का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ा और मालिकों (Employers) के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति (Compensation) देने का दायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। चोरी की घटना भी दिन पर दिन बढ़ रही थी, जिससे जोखिम बढ़ने से इसका बीमा कराने की आवश्यकता हुई। इसी प्रकार अनेक नये–नये ढंग के जोखिमों से बचाने के लिए समय–समय पर नये–नये विविध प्रकार के बीमों की शुरुआत हुई। इन्हीं नए प्रकार के जोखिमों को संवृत करने के उद्देश्य से ही विविध बीमा कि शुरुआत हुई थी। विगत वर्षों में विविध बीमा का क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना की दर से अपने आप को बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे–जैसे नये–नये जोखिमों की उत्पत्ति हो रही है, उसी क्रम में विविध बीमा का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। विविध बीमा का क्षेत्र विविधताओं के कारण बहुत व्यापक हो गया है और निरन्तर नए–नए बीमों का चलन बढ़ता जा रहा है।

इस सम्बन्ध में याद रहना चाहिए कि जीवन बीमा व समुद्री बीमा और अग्नि बीमा की तरह 'विविध बीमा' किसी जोखिम विशेष के बीमे का नाम मात्र नहीं है। जैसाकि ऊपर समझाया है, विविध बीमा, जीवन बीमा, समुद्री बीमा और अग्नि बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की दुर्घटनाओं के बीमों को कहा जाता है। विविध बीमा अपने आप में विभिन्न प्रकार के बीमे को समाहित करता है। इसी कारण से विविध बीमा की कोई स्थाई और पूर्ण परिभाषा नहीं दी जा सकती। क्योंकि विविध बीमा अपनी सीमा को निरन्तर पार कर जाता है और अपनी सीमाओं को बढ़ता रहता है। विविध बीमा का क्षेत्र निरन्तर नई ऊँचाईयों को प्राप्त करता जा रहा है। नये–नये प्रकार के बीमों की व्यवस्था करने में इंग्लैण्ड (लॉयड्स) के बीमाकर्ता विश्वविख्यात है। विविध बीमा की निरन्तर वृद्धिवर्ती गति से ही आज बीमा का क्षेत्र बहुत–बहुत ही व्यापक हो गया है।

**आवश्यकता :** आज के वर्तमान जीवन में बीमा का महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बीमें की आवश्यकता का मतलब मानव के जीवन सम्बन्धित, स्वास्थ्य सम्बन्धित, सम्पत्ति सम्बन्धी और आय सम्बन्धित अनिश्चित घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करना है। इसलिए आज के समय में बीमा व्यक्ति और उसके पूरे परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, मानसिक शांति और जोखिम को किस प्रकार से कम किया जाय, इससे सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण साधन माना जाता है। बीमा एक प्रकार से जोखिम प्रबन्धन उपकरण है, जिसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था एक निश्चित प्रीमियम (बीमा राशि) का भुगतान करके एक निश्चित समय में आने वाले अनिश्चित जोखिमों जैसे– मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी,

सम्पत्ति का नुकसान आदि से आर्थिक रूप से बच सकता है। कोई भी बीमा कम्पनी इस तमाम प्रकार के जोखिम को अपने ऊपर लेती है और जब कोई नुकसान होता है तो पूर्व में किये गए सहमति (बीमा करने वाले और बीमा करवाने वाले के बीच में की गई आपसी सहमति) के अनुसार मुआवजे का भुगतान (Claim) देती है। बीमा व्यवसाय जोखिम के हस्तान्तरण (Risk Transfer) के सिद्धान्त पर आधारित है। मानव जीवन और व्यवसाय भविष्य में विभिन्न प्रकार के अनिश्चितताओं से युक्त होता है। संसार में कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि कल क्या होगा। जीवन और व्यवसाय में यही अनिश्चित जोखिम को जन्म देती है और बीमा इसी अनिश्चितता/ जोखिम से होने वाले नुकसान की आर्थिक रूप से भरपाई करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। प्राकृति दुर्घटना, भौतिक दुर्घटना, बीमारी, आग, चोरी, प्राकृतिक आपदा, मृत्यु आदि घटनाएँ किसी निश्चित समय पर नहीं होती हैं, बल्कि इनका समय निश्चित है, इसको कोई नहीं जानता है कि कब यह हो जाय, ऐसी ही परिस्थितियों के परिणामस्वरूप होने वाले आर्थिक हानि से बचाव के लिए बीमा एक वरदान बन गया है। बीमा की निम्नलिखित आवश्यकता है–

- आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- मानसिक शांति।
- अनिश्चितता और जोखिम का प्रबन्धन।
- मनोवैज्ञानिक सुरक्षा।
- समाज और अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्व।
- रोजगार सृजन।
- पूंजी निर्माण।
- बचत और निवेश का साधन।
- राष्ट्रीय विकास में योगदान।

**निष्कर्ष :** उपर्युक्त अध्ययन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि बीमा की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि जीवन में जोखिम निश्चित नहीं होते, जब भी कोई जोखिम आता है, तो आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होने की पूरी–पूरी सम्भावना होती है। बीमा इन जोखिमों को पूरी तरह से खत्म तो नहीं करता, पर उनके वजह से जो वित्तीय नुकसान होता है, उसे काफी हद तक कम कर देता है। अतः यह स्पष्ट है कि बीमा से केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्रमें भी महत्त्वपूर्ण योगदान करता है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बीमा अवश्य कराना चाहिए, ताकि भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना आसानी से किया जा सके । कुछ लोग बीमा हो अनावश्यक खर्च मानते हैं, लेकिन गलत है, बल्कि बीमा तो एक सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश है। बीमा न केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि बीमा से तो पूरे राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को स्थिरता और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति अपनी आय, उम्र, जिम्मेदारियों और भविष्य

की जरूरतों को ध्यान में रखकर उचित बीमा कवर ले लेता है, उतना ही उसका भविष्य में आने वाले जोखिम द्वारा की गई नुकसान की क्षतिपूर्ति होने की सम्भावना प्रबल रहती है।

**बीमा जीवन में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाव करता है।**

**सन्दर्भ :**

1. भारत की खोज (पं० जवाहरलाल नेहरू)
2. हिन्द स्वराज (महात्मा गांधी)
3. दैनिक जागरण, अमर उजाला (लेख)
4. NCERT बुक्स
5. बीमा सिद्धान्त एवं व्यवहार– एम०एन० मिश्र
6. बीमा का परिचय, आर०एस० शर्मा
7. जीवन एवं सामान्य बीमा, एल०सी० गुप्ता
8. बीमा प्रबन्धन, एम०एल० सेठ
9. बीमा एवं जोखिम प्रबन्धन, के०सी० मिश्र
10. भारतीय बीमा व्यवस्था– डी०डी० अग्रवाल
11- Internet Wikipedia
12. बीमा के सिद्धान्त एवं व्यवहार, बालचंद श्रीवास्तव